

Directorate of Town & Country Planning, Haryana

SCO-71-75, 2nd Floor, Sector-17-C, Chandigarh, Phone: 0172-2549349

Web site tcpharyana.gov.in - e-mail: tcpharyana7@gmail.com

Public notice

Licence no 10 of 2010 dated 23.01.2010 was granted to Universal Buildwell Pvt. Ltd. in collaboration with Landmark Apartment Pvt. Ltd. for setting up of Group Housing Colony over an area measuring 10.931 acres Sector-85 & 88, Faridabad, which was valid upto 22.01.2014. Due to failure of the licensee to get renewed the said licence and to pay the deficit EDC and to rectify the deficiencies conveyed to him from time to time, the aforesaid licence has been cancelled vide this office memo no 22080 dated 25.07.2018 and the administration of this colony has been taken over by Director, Town & Country Planning, Haryana.

The colonizer has been restrained from selling of any unsold property in the said colony. The general public is advised not to indulge in any sale/purchase/ transaction with the licensee in respect of the said colony with above named developer. For further clarification, they may contact the office of Senior Town Planner, Faridabad/ District Town Planner, Faridabad.

Date: 03.08.2018

Place: Chandigarh

-Sd-
(Jitender Sihag)
Chief Town Planner
Town & Country Planning Department
Haryana, Chandigarh

ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग, हरियाणा

एस0 सी0 ओ0 न0 71-75, द्वितीय तल, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़
फोन: 0172-2549349 ईमेल: tcpharyana7@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

लाईसैंस नं0 10 आफ 2010 दिनांक 23.01.2010 युनिवर्सल बिल्डवल प्रा0 लि0 सहयोग में कंपनी लैंडमार्क अपार्टमेंट प्रा0 लि0 को सैक्टर-85 एवं 88, फरीदाबाद में आवासीय ग्रुप हाऊसिंग कालोनी हेतु 10.931 एकड भूमि में प्रदान किया गया था जो कि दिनांक 22.01.2014 तक वैद था । समय-समय पर विभाग द्वारा बताई गई कमियों को ना सुधारने, बकाया ई0डी0सी0 राशी जमा ना करने तथा उक्त लाईसैंस का नवीकरण ना करवाने की वजह से यह लाईसैंस इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22080 दिनांक 25.07.2018 के तहत रद्द कर दिया गया है तथा इस कालोनी के प्रशासन को निदेशक, ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।12

कालोनाइजर को इस कालोनी में कोई भी बिना बिकी प्रोपर्टी को बेचने से रोक दिया गया है। आम जनता को आगाह किया जाता है कि उक्त कालोनी की किसी भी प्रोपर्टी के लेन-देन/खरीद फरोख्त उक्त कालोनाइजर के साथ ना करें। अन्य अतिरिक्त जानकारी के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार फरीदाबाद/नगर योजनाकार फरीदाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक- 03.08.2018
स्थान- चण्डीगढ़

—हस्ता—
(जितेन्द्र सिहाग)
मुख्य योजनाकार
ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़